



उत्तर प्रदेश शासन

उत्तर प्रदेश के पिछड़ी जाति के लिए जाति प्रमाण पत्र

जिला फतेहपुर
तहसील खागा
आवेदन क्र० 231720030041361
प्रमाणपत्र क्र० 423233006962

जारी दिनांक: 19/06/2023

प्रमाणित किया जाता है कि
पुत्र/पुत्री
भाग का नाम
भिवर्मा
ग्राम
तहसील
जिला

शिवम सिंह यादव/SHIVAM
SINGH YADAV
सत्येन्द्र सिंह
कृष्णा देवी
00, चक अलादादपुर पोस्ट कशेरवा
चक अलादादपुर
खागा
फतेहपुर



उत्तर प्रदेश राज्य की अतिरिक्त जाति के व्यक्ति हैं। यह उत्तर प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम 1994 की अनुसूची एक के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि शिवम सिंह यादव/SHIVAM SINGH YADAV सूचीक अधिनियम 1994 (कथामधोदित) की अनुसूची 2 (जिसमें कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण (संशोधन) अधिनियम 2001 द्वारा प्रविष्टांकित किया गया है संक जो 3/20 लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण (संशोधन) अधिनियम 2000 एवं मान्यतापत्र संख्या 22/16/92 डी० सी०-III, दिनांक 20 अक्टूबर 2007 द्वारा संशोधित की गई है, से आच्छादित नहीं है। इनके पास-फिरा की निम्नतर सीन वर्गों की अधिक के लिये सकल जायिक आय आठ लाख रुपये या इनसे अधिक नहीं है तथा उनके पास धन कर अधिनियम 1953 में तथा विहित छूट सीमा में अधिक सम्पत्ति नहीं है।



जारी कर्ता केन्द्र: शिव करम, वयम जन सेवा केन्द्र
पद: शिव करम, केन्द्र प्रभारी
स्थान: Chak
Hasanpur, खागा, मंगारामपुर, तहसील, खागा
दिनांक: 19/06/2023
हस्ताक्षर एवं मुहर

RAV SHANKAR YADAV
Digitally signed by
RAV SHANKAR
YADAV O-TAMSE
YADAV PATANPUR
QU-TAMSE SADAR
FATEHPUR
UTTAR PRADESH

सक्षम अधिकारी/तहसीलदार
डिजिटल हस्ताक्षरित
खागा, फतेहपुर
दिनांक: 19/06/2023